PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Wednesday 5th February 2014, Page: 1
Width: 9.97 cms, Height: 22.70 cms, a4, Ref: pmin.2014-02-05.58.6

बिग रिलीफ ▶ दो करोड़ रुपये तक का कर्ज आसान ब्याज दरों पर

मझोली दवा कंपनियों को सस्ता कर्ज

महेंद्र सिंह ▶ **नई दिल्ली...**

मझोली दवा कंपनियों को अब खुद को तकनीकी तौर पर अपग्रेड करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज आसान ब्याज दरों पर मिल सकता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए फार्मास्युटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम (पीटीयूएएस) का संशोधित प्रस्ताव योजना आयोग को मंजूरी के लिए भेजा है। इस स्कीम के माध्यम से बड़े पैमाने पर मझोले दवा उपक्रमों को डब्लूएचओ-जीएमपी मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जा सकेगा।

डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स (डीओपी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'बिजनेस भास्कर' को बताया कि सभी भागीदारों और एक्सपर्ट पैनल की राय के आधार पर तैयार किया गया संशोधित प्रस्ताव मंजूरी के लिए योजना आयोग के पास भेजा गया है। प्रस्तावित स्कीम में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। स्कीम के तहत सिडबी मझोले दवा उपक्रमों को 5 फीसदी सालाना ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का एक फंड बनाया जाएगा।

इससे पहले डीओपी ने पीटीयूएएस का प्रस्ताव पिछले वर्ष जनवरी में योजना आयोग के पास भेजा था। योजना आयोग ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा था। इसके बाद विभाग ने स्कीम का मसौदा सार्वजनिक करते हुए इस पर सभी भागीदारों की राय मांगी थी। डीओपी ने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए जरूरी तकनीक और मशीनरी की सूची और इस पर आने वाले खर्च का ब्योरा तैयार करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था। इस पैनल में दवा उद्योग के लोगों को भी शामिल किया गया था। इस पैनल की सिफारिशों को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

अपग्रेडेशन

- दवा कंपनियों को तकनीकी तौर पर अपग्रेड करने के लिए 'पीटीयूएएस' पर मांगी गई है योजना आयोग की मंजूरी
- मझोले दवा उपक्रमों को 5% सालाना ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएगा सिडबी, इसके लिए बनाया जाएगा 500 करोड़ का फंड

क्या लाभ

- बड़े पैमाने पर मझोले दवा उपक्रमों को डब्लूएचओ-जीएमपी मानकों के अनुरूप किया जा सकेगा अपग्रेड